No. 7/9/2014-Vig. Office of the Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) (Vigilance Section)

Nirman Bhawan, New Delhi Dated: 25 March, 2014

Office Memorandum

Subject: Annual Performance Appraisal Report (APAR) for the year 2013-2014 - Regarding

The Annual Performance Appraisal Report for the year 2013-2014 in respect of all Government employees working in and under the office of DC(MSME) and field institutes shall become due on 01-04-2014. In this connection, APAR forms of different posts have been uploaded on the website of this office i.e. {http://dcmsme.gov.in/emp-corner.htm} and the same could be downloaded and taken in use.

- 2. Following points may be kept in view before sending APARs to this office for record:-
 - APARs in respect of officers below the rank of Dy. (i) Director should be reported & reviewed by the respective officers at DIs level itself, and in no case it referred the office to HO reporting/reviewing. In the case where there is no officer between Director/Dy. Director (IC) and Assistant Dirctor Gr.I and below/Assistant Director Gr.II and below, as the case may be, their duly reported APAR may be sent to this office alongwith a certificate that 'No Reviewing officer was in position to review the Report'.
 - (ii) In the case of APARs which are to be reported or reviewed at HQ level, the same should be sent to this office within the given time schedule.

- (iii) In case two or more APARs have been written for an employee, and there is time gap between the APARs, 'No report certificate with the reasons for gap' may be sent alongwith the Report to this office.
- (iv) While communicating the APAR to the employee concerned it shoule be made clear that in case no representation is received within fiteen days it would be presumed that the employee has no representation to make.
- (v) Duly completed APAR may be sent to this office alongwith **certificate of disclosure.**

The time schedule for preparation/completion of APAR as prescribed by DOPT is annexed.

(Anil Tehlan)
Dy. Director (Vig.)

To

- 1. SENET Division for uploading the OM on website.
- 2. (All Officers/Divisions in the HQ office & Field Institutes)

<u>Annexure</u>

<u>Time schedule for preparation/completion of APAR</u> (Reporting year – Financial year)

	<u> </u>	
S.No.	Activity	Date by which to be completed
1.	Distribution of blank APAR forms to all concerned (i.e. to officer to be reported upon where self-appraisal has to be given and to reporting officers where self-appraisal is not to be given)	31 st March,
2.	Submission of self-appraisal to reporting officer by officer to be reported upon (where applicable)	15 th April
3.	Submission of report by reporting officer to reviewing officer	30 th J∪ne
4.	Report to be completed by Reviewing Officer and to be sent to Administration or CR Section/Cell or accepting authority, wherever provided.	31st July
5.	Appraisal by accepting authority, wherever provided	31st Augus
6.	(a) Disclosure to the officer reported upon where there is not accepting authority.	01st September
	(b) Disclosure to the officer reported upon where there is not accepting authority	15 th September :
7.	Receipt of representation, if any, on APAR	15 days from the date of receipt of communication
8.	Forwarding of representations to be competent authority	
	(a) where there is not accepting authority for APAR	21st September
	(b) where there is accepting authority for APAR	06th October
9.	Disposal of representation by the competent authority	Within one month from the date of receipt of "representation
10.	Communication of the decision of the competent authority on the representation by the APAR Cell	15 th November
11.	End of entire APAR process, after which the APAR will be finally taken on record.	30 th November

सं. 7/9/2014-सतर्कता विकास आयुक्त का कार्यालय (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) (सतर्कता अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली दिनांक : 25 मार्च, 2014

कार्यालय जापन

विषयः वर्ष 2013-2014 के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (एपीएआर) – के संबंध में।

विकास आयुक्त (सूलमंड) कार्यालय में और इसके अधीन क्षेत्रीय संस्थानों में कार्यरत सभी सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों का वर्ष 2013-2014 के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन 01.04.2014 को देय हो जाएगा। इस संबंध में विभिन्न पदों के लिए एपीएआर फार्म्स इस कार्यालय की वेबसाइट (http://demsme.gov.in/emp-corner.htm) पर उपलब्ध करा दिया गया है और उसे उपयोग के लिए डाउनलोड किया जा सकता है।

- 2. रिकार्ड के लिए एपीएआर इस कार्यालय में भेजने के पूर्व निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना है:
 - (i) उप निदेशक से नीचे के पदों के अधिकारियों के संबंध में एपीएआर स्वयं विकास संस्थान के स्तर पर ही प्रतिवेदित और पुनर्विलोकित होना चाहिए और किसी भी मामले में प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन हेतु मुख्यालय कार्यालय को नहीं भेजी जाए। जिन मामलों में निदेशक/उप निदेशक (प्रभारी) और सहायक निदेशक ग्रेड I और उससे निम्नतर/सहायक निदेशक ग्रेड II और उससे निम्नतर अधिकारी नहीं हैं, जैसा भी मामला हो उनकी विधिवत रूप से प्रतिवेदित एपीएआर इस कार्यालय को इस प्रतिवेदन के साथ भेजा जाए कि 'कोई भी पुनर्विलोकन अधिकारी प्रतिवेदन का पुनर्विलोकन करने की स्थित में नहीं हैं।'

- (ii) जिन एपीएआर का प्रतिवेदन या पुनर्विलोकन मुख्यालय स्तर पर किया जाना है, वह दी हुई समय-सीमा के अंदर इस कार्यालय को भेजें जाएं।
- (iii) यदि किसी कर्मचारी के लिए दो या अधिक एपीएआर लिखा गया है और दोनों एपीएआर के बीच समयांतराल है तो रिपोर्ट के साथ 'अंतराल के कारणों के साथ नो रिपोर्ट सर्टिफिकेट' भी इस कार्यालय को भेजें जाएं।
- (iv) संबंधित कर्मचारी को एपीएआर की संसूचना देते समय यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यदि पंद्रह दिनों के अंदर कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि उक्त कर्मचारी को कोई अभ्यावेदन नहीं करना है।
- (v) विधिवत रूप से पूर्ण एपीएआर इस कार्यालय को प्रकटीकरण प्रमाण-पत्र के साथ भेजें।

एपीएआर तैयार/पूर्ण करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा विहित समय-सारणी संलग्न है।

आर्य

(अनिल तहलान) उप निदेशक (सतर्कता)

प्रतिलिपि:

- 1. सीनेट प्रभाग को कार्यालय ज्ञापन वेबसाइट में अपलोड करने के लिए।
- 2. म्ख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थानों के सभी अधिकारी/प्रभाग।

एपीएआर तैयार/पूरा करने के लिए समय अनुसूसची (रिपोर्टिंग वर्ष - वित्तीय वर्ष

क्र. सं.	कार्यकलाप	तारीख तक पूरा किया जाए
1.	सभी संबंधितों को खाली एपीएआर फार्म का वितरण (अर्थात् जहां-जहां स्व-मूल्यांकन किया जाना हो वहां सूचना देने वालें अधिकारी को तथा जहां स्व-मूल्यांकन नहीं किया जाना वहां प्रतिवेदन अधिकारी को)	
2.	स्चना देने वाले अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन अधिकारी को स्व-म्ल्यांकन प्रस्तुत करना (जहां लागू हो)।	15 अप्रैल
3.	प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।	30 जून
4.	पुनर्विलोकन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट भर कर पूरी करना तथा प्रशासन अथवा सी आर अनुभाग/प्रकोष्ठ अथवा स्वीकारकर्ता प्राधिकारी, जहां उपलब्ध हो, को भेजना ।	31 जुलाई
5.	स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन, जहां उपलब्ध हो ।	31 अगस्त
6.	(क) जहां स्वीकारकर्ता अधिकारी न हो वहां सूचना देने वाले अधिकारी के समक्ष प्रकटीकरण। (ख) जहां स्वीकारकर्ता अधिकारी हो वहां सूचना देने वाले अधिकारी के समक्ष प्रकटीकरण।	01 सितम्बर 15 सितम्बर
7.	एपीएआर के संबंध में अभ्यावेदन, यदि कोई हो, की प्राप्ति ।	
8.	सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन का अग्रेषण (क) जहां एपीएआर स्वीकारकर्ता प्राधिकारी न हो। (ख) जहां एपीएआर के लिए स्वीकारकर्ता प्राधिकारी हो।	21 सितम्बर 06 अक्तूबर
9.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निपटान	अभ्यावेदन के प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के अंदर
10.	एपीएआर प्रकोष्ठ द्वारा अभ्यावेदन पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की सूचना	15 नवम्बर
11.	संपूर्ण एपीएआर प्रक्रिया की समाप्ति, जिसके पश्चात एपीएआर को अंतिम रूप में रिकार्ड पर लिया जाएगा।	30 नवम्बर